

बैंकों के सीपीपीसी

1. पीसीडीए (पी) इलाहाबाद के सर्कुलर/निर्देशों के आधार पर संशोधित/अतिरिक्त पेंशन का भुगतान।
2. अनुबंध की शर्तों के पूरा होने से पहले जारी पेंशनप्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्व-96 अशक्तता के युद्ध चोट तत्व/विकलांगता पेंशन/सेवा तत्व के संशोधन के लिए पीसीडीए (पी) इलाहाबाद को विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे हुए अनुबंध का अग्रपेक्षण करना।
3. पीपीओ रसीद को स्वीकार करना।
4. पेंशन के रूपांतरित भाग की बहाली।
5. तय चिकित्सा भत्ते का भुगतान / रु. 300/- प्र.मा.।
6. स्थिर अटेंडेंट भत्ते का संशोधन।
7. एनओके को आजीवन बकाया पेंशन का भुगतान एवं एलटीए सर्टिफिकेट का मुद्दा।
8. सेवा पेंशन के अतिरिक्त विकलांगता पेंशन/युद्ध चोट पेंशन/गैलेंटरी अवार्ड/जंगी ईनाम राशि का भुगतान, यदि अलग-अलग अधिसूचित हो तो।
9. पेंशन खाते में एनओके की जन्मतिथि व नाम का अनुमोदन।
10. पेंशन के विलंब वितरण के लिए मुआवजे का भुगतान।
11. ईएसएम की मृत्यु के तुरंत बाद एनओके को पारिवारिक पेंशन का भुगतान।
12. रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय (क्षेत्र वार) को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
13. बैंकों की केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों की सूची को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
14. नए पीपीओ को जारी करने के लिए पीसीडीए (पी) समेत मामले उठाना, यदि बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हो या गुम हो गया हो।